



महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली  
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

सेवा में  
समस्त प्राचार्य/ प्राचार्या,  
सम्बद्ध महाविद्यालय,  
महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय,  
बरेली

दिनांक: 31-07-2021

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 (NEP-2020) के अनुरूप सत्र 2021-22 में स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में सुझाव/दिशानिर्देश

महोदय/ महोदया,

आगामी सत्र 2021-22 में समस्त प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं उक्त के सन्दर्भ में शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप संपन्न कराई जानी है। शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत सुझाव / दिशानिर्देश इस आशय से संगलन किये जा रहे हैं, कि उक्त सुझाव/ दिशानिर्देशों के अनुरूप ही समस्त महाविद्यालय त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

(**Dr.**राजीव कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : -

1. समस्त संकायाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर
2. समस्त प्राचार्य /प्राचार्या, सम्बद्ध महाविद्यालय
3. प्रभारी वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. वैयक्तिक सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ



# महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

## SUGGESTIVE GUIDE LINES FOR SEMESTER-BASED IMPLEMENTATION MODEL FOR UNIVERSITY AND AFFILIATED COLLEGES

M. J. P. Rohilkhand University will adopt the semester system in Undergraduate courses as per directives of Higher Education Department, Uttar Pradesh Government to accelerate the teaching-learning process and enable vertical and horizontal mobility in learning from academic session 2021-22. The choice based credit system as well as semester system will provide flexibility in designing curriculum and assigning credits based on the course content and hours of teaching. The common minimum syllabus has been approved by the government in many courses and remaining courses are also in the process of being updated, which shall be adopted by the University through the prescribed statutory process as per directives from UP Govt. The new system will have the following features: -

- i. **Academic Year:** Two consecutive (one odd + one even) semesters constitute one academic year.
- ii. **Credit System (CBCS):** The CBCS provides choice for students to select from the prescribed courses (core, elective or minor or skill-based courses). Under the CBCS, the requirement for awarding a degree or diploma or certificate is prescribed in terms of number of credits to be completed by the students.
- iii. **Course:** Usually referred to, as 'papers' is a component of a programme. All courses need not to carry the same weightage. The courses should define learning objectives and learning outcomes. A course may be designed to comprise lectures/ tutorials/laboratory work/ field work/ outreach activities/ project work/ vocational training/viva/ seminars/termpapers/assignments/ presentations/ self-study etc. or a combination of few of these.
- iv. **Credit Point:** It is the product of grade point and number of credits for a course.
- v. **Credit:** A unit by which the course work is measured. It determines the number of hours of instructions required per week. One credit is equivalent to one hour of teaching (lecture or tutorial) or two hours of practical work/field work per week.
- vi. **Cumulative Grade Point Average (CGPA):** It is a measure of overall cumulative

performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points in all the semesters. It is expressed up to two decimal places.

**vii. Grade Point:** It is a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale.

**viii. Programme:** An educational programme leading to award of a Degree, diploma or certificate.

**ix. Semester Grade Point Average (SGPA):** It is a measure of performance of work done in a semester. It is ratio of total credit points secured by a student in various courses registered in a semester and the total course credits taken during that semester. It shall be expressed up to two decimal places.

**x. Semester:** Each semester will consist of 15-18 weeks of academic work equivalent to actual teaching days. The odd semester may be scheduled from July to December and even semester from January to June.

**xi. Transcript or Grade Card or Certificate:** Based on the grades earned, a grade certificate shall be issued to all the registered students after every semester. The grade certificate will display the course details (code, title, number of credits, grade secured) along with SGPA of that semester and CGPA earned till that semester.

**xii. Selection of courses and admission process**

- The college will register on the admission portal available on university website for confirmation of admission to any programme running in the University campus or affiliated college by depositing the requisite fee.
- Departments/ colleges will complete the admission process following pravesh niyamavali of university.
- The student have to select the faculty where admission is sought (Science/Arts/ Commerce/Management etc).
- University/ College will admit students as per availability of seats and as per eligibility.
- Student will select three major subjects out of which two major subjects will be compulsorily from the chosen faculty within the subjects available in the college and the third major subject can be from the chosen faculty or any other faculty. The college may lay down options for the third major subject if to be opted from any other faculty keeping in view subjects offered in the college and sanctioned seats.
- One minor elective paper may be chosen from own faculty or different faculty in the first four semesters (i.e. first two years of UG Program) from amongst the subjects available in the college. University/ College will allocate minor elective paper as per availability of subjects/ seats. This minor elective paper shall only be the paper of a subject and not the full subject. No pre-requisite is required for minor paper. The student has to take this paper in I or II semester in I Year and III or IV semester in II Year (i. e. one paper per year). In summary the student shall be required to study only two minor elective papers in first two years of undergraduate program.
- However out of third major and fourth minor one must be from different faculty.

- Each student will opt for a vocational course in the first four semesters as decided by the Principal of the college/Vice Chancellor. However, if there is a practical problem in choosing a vocational course due to non availability of such courses in the college/colleges, the students may be asked to select this course within the available on line courses at UGC, Swayam/ MOOCS portals etc after admission.
- In B.A. (Hons) / B.Sc. (Hons) as well as single subject UG programs the CBCS based new syllabus shall be implemented from session 2022-23.
- In PG the CBCS based new syllabus shall be implemented from session 2022-23.

**xiii. Entry, exit and re-entry process in Undergraduate programme**

- Student on completion of first year (2 semesters) of Undergraduate programme may exit from the programme with a certificate and after completion of two years (4 semesters) may exit with a Diploma.
- Student will be awarded Degree after completion of three years (6 semesters).
- Student will be allowed re-entry at the next level after exit.
- Student will be allowed conditional subject change in the second/ third year on the basis of prescribed prerequisites and availability of seats.

**xiv. COURSE CREDITS DISTRIBUTION SEMESTER-WISE**

**New proposed year wise structure of UG/PG Programs**

		Subject-1	Subject-2	Subject-3	paper-4	Vocational	Co-curricular	Industrial Training/ Survey/Project	Credits		(Minimum/Maximum total credits after completion) (Minimum credits)
		Major	Major	Major	Minor/elective	Minor	Minor	Major			
		4/5/6 credits	4/5/6 credits	4/5/6 credits	4/5/6 credits	3 credits	2 credits	3/6/8 credits			
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own Faculty or Any Faculty	Own Faculty or other Faculty	Vocational Faculty	Co-curricular course	Inter/ Intra Faculty related to main subject	Total	Min./Max. of the Semester/Year	
1	1	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4)	1(4/5/6)	1	1		18 + 0/4/5/6	23-29	(50-52) (46) Certificate in faculty

				+ Lab.1 (2)					+3 +2		
	II	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)		1	1		18 +( 0/ 4/ 5/ 6) +3 +2	23-29 (50-52)	
2	III	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	1(4/5/6)	1	1		18 +( 0/ 4/ 5/ 6) +3 +2	23-29	(100-104) (92) Diploma in Faculty
	IV	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)	Th.1(6) or Th.1(4) + Lab.1(2)		1	1		18 +( 0/ 4/ 5/ 6) +3 +2	23-29 (50-52)	
3	V	Th.2(5) or Th.2(4) + lab1(2)	Th.2(5) or Th.2(4) + lab1(2)				1	1 (3)	20 +3 +2	25	150-154 (138) Bachelor in Faculty
	VI	Th.2(5) or Th.2(4) + lab1(2)	Th.2(5) or Th.2(4) + lab1(2)				1	1 (3)	20 +3 +2	25 (50)	
4	VII	Th.4(5) or Th.4(4) + Lab 1(4)			1(4/5/6)			1(6)	20 +( 0/ 4/ 5/ 6) + 6	26-32	206-212 (194) Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th.4(5) or Th.4(4) + Lab 1(4)						1(6)	20 +( 0/ 4/ 5/ 6) + 6	26-32 (56-58)	
5	IX	Th.4(5) or Th.4(4) + Lab 1(4)						1(6)	20 + 6	26	258-264 (246) Master in Faculty
	X	Th.4(5) or Th.4(4) +						1(6)	20 + 6	26 (52)	

		Lab 1(4)								
6	XI	2(6)	1(4) Research Methodolog y				1(8)	16 +	8	270 PGDR in Research
6,7,8	XII- XVI						Ph.D. Research			Ph.D. in subject

**For clearing doubts (if any) regarding NEP-2020 implementation please contact:**

1. Prof. S K. Panday
2. Dr. Alok Srivastav



# महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में प्रवेश सम्बन्धी सुझाव /दिशा- निर्देश National Education Policy 2020: Suggestive Guidelines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिषत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश-सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

- i. **शैक्षणिक सत्र:** एक शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य उस सत्र के दो सेमेस्टर ( अर्थात विषम एवं सम सेमेस्टर से है )
- ii. **क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस):** सीबीसीएस छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रमों (मुख्य, वैकल्पिक या लघु या कौशल-आधारित पाठ्यक्रम) से चयन करने का विकल्प प्रदान करता है। सीबीसीएस के तहत, डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता छात्रों द्वारा पूरी की जाने वाली क्रेडिट की संख्या के संदर्भ में निर्धारित की जाती है।

- iii. **पाठ्यक्रम: सामान्यतय:** इसे 'प्रश्नपत्र' के रूप में संदर्भित किया जाता है, यह एक पाठ्यक्रम का एक घटक है। सभी पाठ्यक्रमों को समान भार वहन करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम में अधिगम के उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को परिभाषित करना चाहिए। एक पाठ्यक्रम को व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगशाला कार्य/क्षेत्र कार्य/आउटरीच गतिविधियों/परियोजना कार्य/व्यावसायिक प्रशिक्षण/मौखिक /सेमिनार/टर्म पेपर/असाइनमेंट/प्रस्तुति/स्व-अध्ययन आदि या इनमें से कुछ के संयोजन को शामिल करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है।
  - iv. **क्रेडिट प्वाइंट:** यह एक कोर्स के लिए ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या का गुणांक है।
  - v. **क्रेडिट:** एक इकाई जिसके द्वारा पाठ्यक्रम कार्य को मापा जाता है। यह प्रति सप्ताह आवश्यक शिक्षण के घंटों की संख्या निर्धारित करता है। एक क्रेडिट एक घंटे के शिक्षण (व्याख्यान या ट्यूटोरियल) या प्रति सप्ताह दो घंटे के प्रयोगशाला कार्य/क्षेत्र कार्य के बराबर है।
  - vi. **क्युमुलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज (सीजीपीए):** यह सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र क्युमुलेटिव प्रदर्शन को दर्शाता है। सीजीपीए सभी सेमेस्टर में कुल क्रेडिट पॉइंट का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाता है।
  - vii. **ग्रेड प्वाइंट:** यह 10 पॉइंट स्केल पर प्रत्येक लेटर ग्रेड को आवंटित एक न्यूमेरिकल वेट है।
  - viii. **पाठ्यक्रम :** एक शैक्षिक कार्यक्रम जो एक डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करता है।
  - ix. **सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए):** यह एक सेमेस्टर में किए गए प्रदर्शन को दर्शाता है। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंकों और उस सेमेस्टर के दौरान लिए गए कुल पाठ्यक्रम क्रेडिट का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जाएगा।
  - x. **सेमेस्टर:** प्रत्येक सेमेस्टर में वास्तविक शिक्षण दिनों के बराबर 15-18 सप्ताह का शैक्षणिक कार्य शामिल होगा। विषम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जून तक निर्धारित किया जा सकता है।
  - xi. **ट्रांसक्रिप्ट अथवा ग्रेड कार्ड या प्रमाण पत्र:** अर्जित ग्रेड के आधार पर, प्रत्येक सेमेस्टर के पश्चात सभी पंजीकृत छात्रों को एक ग्रेड प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ग्रेड प्रमाणपत्र उस सेमेस्टर के एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए के साथ पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड ) प्रदर्शित करेगा।
1. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणी:**
    - यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 पर सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022-23 से लागू होगी।



## 2. प्रवेश की व्यवस्था:

- सत्र 2021-22 में विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
- पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (<http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx>) के अनुसार होगा।
- विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलेक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलेक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- बहु विषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलेक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात्

विद्यार्थी अपनी सुविधा से राग अथवा विषय सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है ।

- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध शीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3 × 4 = 12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा।
- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
- यदि महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है तो UGC, स्वयं अथवा MOOCS इत्यादि के माध्यम से छात्रों को उक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम चयन करने की छूट महाविद्यालय प्रदान कर सकता है ।
- इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

### 3. कक्षाओं हेतु समय-सारिणी:

- सभी महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारंभ होने से पूर्व अपनी समय-सारिणी (Time Table) तैयार कर लें। जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- सभी शिक्षण संस्थान समय सारिणी (Time Table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।
- तीसरे मुख्य विषय तथा चयनित गौड़ पेपर (Minor Elective Paper) की कक्षाओं के लिये कोई एक ही समय (Period) समय-सारिणी में निर्धारित किया जाये जिससे कि सभी विद्यार्थी सुविधापूर्वक अपने-अपने चयनित विषयों का अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार इन विषयों की परीक्षाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन के लिये एक ही तिथि निर्धारित की जाये।

### 4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया:

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत

सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छ: सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकारा के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

#### 5. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:

- सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 28-30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट; न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 138 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 194 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 246 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 270 अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात् उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 138 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L. Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

#### 6. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण:

- क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता है तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

#### 7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ।

- विद्यार्थी यूजीसी/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टल/संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिये छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालय परिसर को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

## B. परीक्षा व्यवस्था:

- सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
  - सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
  - 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
  - असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
  - सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।
9. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है—
- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
  - द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा।
  - तृतीय वर्ष तक 138 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
  - प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
  - स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

## 10. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular):

- स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह-शैक्षणिक/ सहगामी पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं, जो कि प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे । यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे । इन सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर होगी । (यदि महाविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है तो UGC, स्वयं अथवा MOOCS इत्यादि के माध्यम से छात्रों को उक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम चयन करने की छूट महाविद्यालय प्रदान कर सकता है)
- स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी ।